छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

Phone No. 0771. 2437309, Fax No .0771. 2429385

क्रमांक / अधिसूचना / 4061 / दिव्यांग परी.सुवि. / विद्यो. / 2022 रायपुर, दिनांक 08.07.2022

/ / अधिसूचना / /

भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शास्त्री भवन नई दिल्ली का पत्र **F.No.9-39/2021-IS.19 (IS. 18 Section) Dated the 19th April, 2022** एवं राज्य परियोजना कार्यालय समग्र षिक्षा, छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक / 179 / ss / 24 / 170 / प्रारं–माध्य. / 2021–22 रायपुर दिनांक 21.04.2022 के परिपालन में लेख है कि 21 प्रकार की दिव्यांगता के आधार पर **CWSN** विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाले मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा एवं संषोधन किये जाने संबंधी दिनांक 06.06.2022को छ0ग0मा0शि0मण्डल रायपुर की कार्यपालिका एवं वित्त समिति की संयुक्त बैठक में लिये गए निर्णयानुसार निम्नानुसार प्रावधान / छूट प्रदान किये जाने की अधिसूचना जारी की जाती है ।

कं	दिव्यांगता का प्रकार	पूर्व में प्रावधान / छूट	शिक्षा सत्र 2022–23 से 40%से अधिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों हेतु प्रावधान / छूट
1.	दृष्टिबाधित, मूकबधिर, मानसिक रूप से दिव्यांग	नियमित विद्यार्थियों हेतु कक्षा 10वीं एवं 12वीं में आवेदन शुल्क को छोड़कर शेष संपूर्ण शुल्क पर छूट ।	21 प्रकार के दिव्यांगजन :–पूर्ण दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मूक बाधित, मानसिक रूप से दिव्यांग (सेरेब्रल पॉल्सी), स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता, मानसिक बीमारी, अस्थिबाधित, बहु–विकलांगता, कुष्ठरोग, मल्टीपल स्केलोरोसिस, हीमोफिलिया, थैलेसिमिया, पार्किसन्स रोग, मांसपेशी दुर्विकास, बौनापन, सिकलसेल, कोनिक न्यूरोलॉजिकल, अधिगम निःशक्तता, तेजाब हमला पीड़ित । कक्षा 10वीं एवं 12वीं के नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन शुल्क को छोड़कर शेष संपूर्ण शुल्क पर छूट दी जावेगी ।
2.	दृष्टि बाधित एवं मानसिक रूप से दिव्यांग	1:30 घण्टे का अतिरिक्त समय	पूर्ण दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मूक बाधित,मानसिक रूप से दिव्यांग (सेरेब्रल पॉल्सी),स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता, मानसिक बीमारी, बहु–विकलांगता, मल्टीपल स्केलोरोसिस, मांसपेशी दुर्विकास एवं अस्थि बाधित जो हाथ से दिव्यांग हो अथवा हाथ की हड्डी टूट जाने या हाथ की खराबी के कारण लिखने में सक्षम न हो उन्हे 1:30घण्टे का अतिरिक्त समय दिया जावेगा ।
3.	दृष्टि बाधित	लेखक की व्यवस्था –एक कक्षा कम अध्ययनरत हो ।	लेखक की व्यवस्था–एक कक्षा कम अध्ययनरत हो ।
4.	अन्य 40%से अधिक दिव्यांगता वाले एवं हाथ की हड्डी टूट जाने अथवा हाथ की खराबी के कारण लिखने में सक्षम न हो ।	हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी / फिजिकल एजुकेशन / डिप्लोमा इन एजुकेशन, परीक्षा के लिए लेखक अधिकतम 9वीं में अध्ययनरत हो ।	हाईस्कूल / हायरसेकण्डरी / फिजिकल एजुकेशन / डिप्लोमा इन एजुकेशन, परीक्षा के लिए लेखक अधिकतम कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हो।

5.	नेत्रहीन,मूक,बधिर एवं मानसिक रूप से दिव्यांग	हाईस्कूल में 03 भाषा के स्थान पर 02 भाषा एवं हायर सेकण्डरी में 02 भाषा के स्थान पर 01 भाषा देने का प्रावधान ।	पूर्ण दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मूक बाधित,मानसिक रूप से दिव्यांग (सेरेब्रल पॉल्सी),स्वलीनता, बौद्धिक निःषक्तता, मानसिक बीमारी, अस्थिबाधित, बहु–विकलांगता, मल्टीपल स्केलोरोसिस, मांसपेशी दुर्विकास– ऐसे दिव्यांगजनों को हाईस्कूल में 03 भाषा के स्थान पर 02 भाषा एवं हायर सेकण्डरी में 02 भाषा के स्थान पर 01 भाषा देने की सुविधा दी जावेगी ।
6.	नेत्रहीन,मूक,बधिर ,मूक–बधिर विद्यार्थी	गणित अथवा विज्ञान के स्थान पर आवष्यकता अनुसार संगीत अथवा चित्रकला ले सकते हैं	पूर्ण दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मूक बाधित,मानसिक रूप से दिव्यांग (सेरेब्रल पॉल्सी),स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता, मानसिक बीमारी, बहु–विकलांगता, मल्टीपल स्केलोरोसिस, मांसपेशी दुर्विकास– ऐसे दिव्यांगजन गणित अथवा विज्ञान के स्थान पर आवश्यकता अनुसार संगीत अथवा चित्रकला ले सकेंगे ।
7.	दृष्टि बाधित व मूकबधिर	केवल हाईस्कूल परीक्षा में गणित विषय का प्रश्नपत्र अलग से तैयार किया जाता है ।	दृष्टि बाधित व मूक बधिर के लिए केवल हाईस्कूल परीक्षा में गणित विषय का प्रश्नपत्र अलग से तैयार किया जावेगा

सर्व संबधितों को अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार प्रावधान/छूट का पालन किया जावे ।

7/7/22

(प्रोफेसर व्ही. के. गोयल)
सचिव
छ0ग0माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

पृ.क्रं/ अधिसूचना/ /दिव्यांग परी.सुवि. /विद्यो./2022 /4062/ रायपुर, दिनांक 08.07.2022

प्रतिलिपिः–

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के निज सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय,इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर,
3. सचिव, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई–दिल्ली,
4. संचालक, समाज कल्याण संचालानालय माना कैम्प रायपुर छत्तीसगढ़,
5. अध्यक्ष/सचिव महोदय के निज सचिव/सहायक छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर,
6. प्रबंध संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर,
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ एवं सूचनार्थ,
8. समस्त सहायक सचिव/सहायक प्राध्यापकगण छ.ग.मा.शि.मं.रायपुर,
9. समस्त कक्ष अधिकारी छ.ग.मा.शि.मं.रायपुर,
10. समस्त संभागीय अधिकारी छ.ग.मा.शि.मं.बिलासपुर,अंबिकापुर,जगदलपुर,राजनांदगांव,
11. समस्त केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष छ.ग.मा.शि.मण्डल–छत्तीसगढ़,
12. प्रोग्रामर, डाटा कक्ष छ.ग.मा.शि.मं.रायपुर की ओर मण्डल की वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित् ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

7/7/22

सचिव
छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

Pradeep Sahu 36